

(1)

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद संख्या-18/2016

10.02 .2020

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक-30.08.2019 के आवेदन तथा प्रतिवादी के दिनांक-18.11.2019 के आवेदन पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रेषित हुआ।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के आवेदन से प्रतित होता है कि वादी विवादित भूमि के 9 क्रेता को वाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष बनाना चाहते हैं। प्रतिवादी के ओर से दाखिल दिनांक-01.09.2017 के आवेदन से भी प्रतित होता है कि वादी के आवेदन में वर्णित क्रेता ने विवादित भूमि को क्रय किया है, जिसको वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः वादी के दिनांक-30.08.2019 के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक-18.11.2019 के आवेदन में वर्णित सभी 9 क्रेता को वाद-पत्र के प्रतिवादी कॉलम में प्रतिवादी संख्या-4 से प्रतिवादी संख्या-12 प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के रूप में अंकित करने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक-24.02.2020 वास्ते वाद-पत्र में संशोधन एवं उपस्थिति हेतु।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी, (पूर्णियाँ)